NSDL
Technology, Trust & Reach

द फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप
डिफाइनिंग द डिफरेंट शेप्स ऑफ़ इन्वेस्टमेंट

जनवरी – फरवरी 2022

निवेश और कर- नियोजन

संपादक की कलम से

प्रिय पाठक,

यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने की कगार पर है। हम में से अधिकांश के लिए कर- बचत के लक्ष्य के साथ निवेश की समीक्षा करने का समय आ गया है। एक तरफ हमें मौजूदा वित्त वर्ष के वित्तीय व्यवहार का आयकर की दृष्टी से निष्कर्ष निकालना है, वहीं दूसरी ओर अगले वित्त वर्ष के निवेश की योजना बनाना है। कर-नियोजन केवल कराधान और निवेश की मूल बातें जानने के बारे में नहीं है बल्कि निवेश की दीर्घकालिक आदतों और अनुशासन के निर्माण के बारे में भी है।

'कर -नियोजन' इस वाक्यांश की संवेदनशील प्रकृति और इससे जुड़े कई मिथकों और गलत सूचनाओं को देखते हुए, यह आवश्यक है कि आप अपने वित्तीय निर्णय में शामिल वैधताओं को समझे। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार और आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सुगम बनाने के लिए कई प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बढ़ाया हैं।

फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप' का यह संस्करण खुदरा निवेशकों के लिए प्रासंगिक निवेश और कर- नियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। कराधान की बुनियादी समझ से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक, हमने कुछ लोकप्रिय निवेश साधनों की व्याख्या करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको यह समाचार पत्र उपयोगी लगेगा। कृपया इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों या ऐसे व्यक्तियों के साथ साझा करें, जो व्यक्तिगत वित्त के सूक्ष्म आशय को समझने में रुचि रखते हों ।

शायद आप एलआईसी के बहुप्रतीक्षित आईपीओ के बारे में जानते होंगे। उम्मीद है कि मौजूदा पॉलिसीधारकों को इस आईपीओ के आवंटन में कुछ अंश मिलेगा। जो एलआईसी पॉलिसीधारक नहीं हैं वे भी आईपीओ में भाग लेने के पात्र होंगे। जो कोई भी आईपीओ में शेयर्स के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे आवेदन में अपने डीमैट खाते का उल्लेख करना होगा। मौजूदा पॉलिसीधारक जिनके पास 28 फरवरी, 2022 को या उससे पहले एलआईसी के रिकॉर्ड में अपना पैन दर्ज था, वे

आरक्षण के लिए पात्र होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

हम आपको 'नॉलेज विन्स कॉन्टेस्ट' में भाग लेने के लिए और इस समाचार पत्र के अंत में दी गई लिंक पर आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव साझा करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं।

एनएसडीएल के सभी वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स अब यूट्यूब पर एनएसडीएल निवेशक शिक्षा चैनल पर उपलब्ध हैं। इसलिए यदि आप अपनी पसंद के किसी वेबिनार में भाग लेने से चूक गए हैं, तो अब आप अपनी सुविधानुसार पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।

सादर,

एनएसडीएल - आपकी डिपॉजिटरी

कर-नियोजन क्या है?

कर- नियोजन आयकर की दृष्टी से आपके वित्त का विश्लेषण और प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। विशेष रूप से यह निवेश संयोजन और आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कटौती और छूट के माध्यम से कर देयता को कम करने के लिए किया जाता है।

दूसरे शब्दों में, कर- नियोजन उपयुक्त निवेश के साथ छूट, लाभ और रिबेट का अनुकूलतम उपयोग है।

पूर्वकालीन कर- नियोजन के महत्व और लाभ

पारंपरिक वित्तीय ज्ञान हमें बताता है कि निवेश शुरू करना कभी भी समय से पहले या जल्दी नहीं होता है। निवेश जल्दी शुरू करने के कई फायदे होते हैं

कुशल शोध के बाद किए गए नियोजित वित्तीय लक्ष्य

कर- नियोजन शीघ्र शुरू करने से आपको शोध करने का और अपने वित्तीय लक्ष्यों को आकार देने का समय मिलता है। आयकर अधिनियम के तहत उपलब्ध विभिन्न प्रावधानों और कटौतियों को समझने से बेहतर निवेश विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है। यह आपके व्यय में परिवर्तन और आपको नई वित्तीय आदतों के आदी होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।

अतिरिक्त कर देने से बचाव

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, उनके नियोक्ता हर कर्मचारी के वेतन और उनकी निवेश घोषणाओं के आधार पर लागू आयकर नियम और कर-कटौती के लिए जिम्मेदार होते है। वेतन स्रोत पर कर कटौती के रूप में कर्मचारी की ओर से भुगतान किया जाता है। पर्याप्त कर-बचत घोषणाएं नहीं करने की स्थिति में, नियोक्ता वर्ष के अंत में अधिक कर काट सकते हैं। यद्यपि बाद में वह राशि वापस मिल सकती है मगर व्यक्ति का पैसा उस अवधि के लिए अवरुद्ध रहता है।

कर-बचत निवेशों के लिए चल निधि

अक्सर लोग टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में एकमुश्त निवेश करने के लिए साल के अंत तक इंतजार करते हैं। हालांकि, अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में यह करना मुश्किल हो सकता है। बाजार में आई कोई भी अस्थिरता आपके ऊपर अनावश्यक तनाव या वित्तीय बोझ डाल सकती है और आप अपने निवेश लक्ष्यों से चूक भी सकते हैं। पूरे वर्ष में राशि का प्रसार करना और धन का आबंटन करना आपको चल निधि का बेहतर प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

अंतिम समय की झंझट से मुक्ति

साल की शुरुआत में वित्तीय लेनदेन की योजना बनाना और उनका आलेख करना अंतिम समय की भीड़ और परेशानी से बचने में मदद करता है। संभावित कर देयता को पहले से जानने से भी बेहतर नकदी प्रवाह की सुविधा मिलती है और आप सभी उपलब्ध कटौतियों और छूटों का व्यवस्थित तरीके से लाभ ले सकते हैं। सभी वित्तीय लेनदेन के दस्तावेजों को

तैयार रखना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय होने वाली त्रुटियों, चूक और गड़बड़ियों को भी कम करता है।

कर -नियोजन, कर- परिहार और कर -चोरी में अंतर

कर- नियोजन, कर- परिहार और कर- चोरी, ये शब्द अकसर भ्रमित करते हैं और कई बार एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से तीनों बहुत अलग हैं। इन्हें ठीक से नहीं समझना काफी हानिकारक हो सकता हैं। नीचे दी गई तालिका इन तीन शब्दों का बेहतर विश्लेषण करने में मदद करेगी।

	कर -नियोजन	**कर- परिहार**	**कर -चोरी**
अर्थ	कानून के प्रावधानों का उपयोग कर, 'कर' बचाने के लिए	कानून में खामियों का इस्तेमाल कर करों के भुगतान से बचने के लिए	कपटपूर्ण तरीकों से कर भुगतान से बचने के लिए
गुण	वास्तविक इरादों के साथ किया गया और कानूनी है	दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया, कानूनी हो सकता है, लेकिन अनैतिक	दुर्भावनापूर्ण इरादों से किया गया, अवैध और अनैतिक
परिणाम	एक व्यक्ति को कर देयता को कम करने में मदद करता है और वित्तीय नियोजन को बढ़ाता है	अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा सकती है और मुकदमेबाजी हो सकती है	आर्थिक दंड, कारावास हो सकता है

संक्षेप में कहा जाए तो कर- नियोजन कानूनी है और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी ओर, कर -चोरी एक दंडनीय अपराध है।

कर -नियोजन में वियोजन और निवेश के कुछ

आयकर अधिनियम कुछ निवेशों और भुगतानों पर कटौती प्रदान करता है। ये कटौतियां आपकी आयकर देयता की गणना करने से पहले लागू होती हैं। निम्नलिखित कुछ लोकप्रिय कर-बचत के साधन हैं।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस)

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के रूप में भी जाना जाता है। ईएलएसएस एक इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड है जो पंजीकृत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों या म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा पेश किया जाता है। इक्विटी बाजार से जुड़े होने की वजह से इसमें ज्यादा फ़ायदा होने की क्षमता है और उन लोगो के लिए उपयुक्त है जो अधिक जोखिम ले सकते हैं। 3 साल की न्यूनतम अवधि के लिए किया गया ₹1,50,000 तक का निवेश कटौती का पात्र है। ईएलएसएस फंड में निवेश करने के लिए निवेशक अपने मौजूदा डीमैट खाते का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि भुगतान किया गया वार्षिक प्रीमियम ₹2.5 लाख से कम या उसके बराबर हो।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप)

यूलिप बीमा और निवेश का एक संयोजन है जो बीमा कंपनियों द्वारा पेश किया जाता है। भुगतान की गई राशि का एक हिस्सा जीवन बीमा प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाता है और शेष राशि को इक्विटी या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। ₹1,50,000 तक का निवेश धारा 80C के तहत कटौती-योग्य है और परिपक्वता पर प्राप्त लाभ राशि कर से मुक्त है।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)

यह सरकार द्वारा बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू की गई एक कर-बचत जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि खाता किसी लड़की के माता-पिता या अभिभावक द्वारा उसके 10 वर्ष की आयु से पहले डाकघर या किसी अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है। इसमें जमा की गई ₹1,50,000 तक की वार्षिक राशि को कर से कटौती प्राप्त होती है। जमा राशि पर

सालाना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है जो पूरी तरह से कर से मुक्त है। सभी निकासी और परिपक्वता राशि भी कर से मुक्त हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ)

यह बैंकों और डाकघरों द्वारा दी जाने वाली सबसे लोकप्रिय कर-बचत निवेश योजनाओं में से एक है। यह 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ एक लंबी अवधि का निवेश है जिसमें 7 साल बाद हर साल आंशिक निकासी का प्रावधान है। व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1,50,000 का योगदान ₹50 के गुणकों में कर सकते हैं। पीपीएफ की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह योगदान की राशि, अर्जित ब्याज और परिपक्वत राशि तीनों पर ट्रिपल टैक्स छूट प्रदान करता है।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)

यह 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक सेवानिवृत्ति-केंद्रित, दीर्घकालिक निवेश का विकल्प है। एनपीएस के पीछे का मूल विचार सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यह आप को धन कमाते वक़्त निवेश के लिए प्रेरित करता है ताकि आप सेवानिवृत्त होने पर वार्षिकी नियमित आय प्राप्त करें। सेवानिवृत्ति से पहले धन की निकासी पर प्रतिबंध उसे बढ़ने के लिए एक लंबा समय प्रदान करता है। कई विवेकपूर्ण प्रतिबंध ऐसी योजनाओं पर लागू हैं जहां एनपीएस ग्राहकों द्वारा योगदान किए गए धन को पेंशन फंड के प्रबंधकों द्वारा निवेश किया जा सकता है। यह तुलनात्मक रूप से कम जोखिम और अपेक्षाकृत कम लागत में पूरी राशि पर एक अच्छी दर से प्रतिदान देता है।

कुछ अन्य लोकप्रिय निवेश विकल्प / कटौती

अनुभाग	विवरण	वार्षिक कटौती सीमा
80C	निर्धारित साधनों में निवेश, बीमा प्रीमियम का भुगतान, पीपीएफ में योगदान, आवास ऋण की अदायगी आदि	1,50,000
80CCC	एलआईसी या अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन उत्पादों में योगदान	1,50,000
80CCD	पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन का 10% तक योगदान	1,50,000
80D	स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम का भुगतान	25,000 (50,000)[1]
80D	माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम का भुगतान	25,000 (50,000)[1]
80DD	आश्रित विकलांगो के रखरखाव और चिकित्सा उपचार पर व्यय	75,000 (1,25,000)[2]
80DDB	स्वयं या आश्रितों के लिए निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के चिकित्सा उपचार पर व्यय	40,000 (1,00,000)[1]
80U	विकलांगो के लिए कटौती	75,000 (,125,000)[2]
80E	शिक्षा ऋण पर दिया गया ब्याज (आठ वर्ष तक)	संपूर्ण राशि
80G	स्वीकृत धन और धर्मार्थ संस्थानों को दिया गया दान	100% or 50%
80GGC	पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चुनावी चंदा	100%

टीप -

1. वरिष्ठ नागरिक
2. गंभीर विकलांगता के लिए

निवेश पर होने वाले पूंजीगत लाभ और पूंजीगत हानि को समझना

शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश के मामले में पूंजीगत लाभ बिक्री या मोचन पर किया गया लाभ है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो इसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है और अगर बिक्री मूल्य कम है, तो अंतर को पूंजीगत हानि के रूप में जाना जाता है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) वित्तीय संपत्ति या निवेश धारित -अवधि को संदर्भित करते है। अगर इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने से पहले बेचे जाते हैं, तो अर्जित लाभ को एसटीसीजी माना जाता है। यदि होल्डिंग अवधि 12 महीने से अधिक थी, तो इसे एलटीसीजी माना जाता है।

आयकर अधिनियम में पूंजीगत लाभ को छोड़कर किसी भी आय या अन्य शीर्षों के विरुद्ध हानि को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विरुद्ध ही प्रतिविरुपण ही किया जा सकता है। जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का प्रतिविरुपण एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों को नुकसान के आठ साल बाद तक अग्रेनीत किया जा सकता है।

इसलिए, यदि आपने किसी शेयर को एक वर्ष से अधिक समय तक रखने के बाद उस पर ₹25,000 का नुकसान दर्ज़ किया है, तो आप इसे किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध प्रतिविरुपण कर सकते हैं और किसी भी शेष हानि को आठ वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जा सकता है।

इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड पर आयकर

लाभ का प्रकार	इक्विटी फंड	डेब्ट फंड
एलटीसीजी	₹1,00,000 तक की छूट। फिर बिना इंडेक्सेशन के @ 10% टैक्स।	इंडेक्सेशन के साथ 20%
एसटीसीजी	15%	इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार

आयकर रिटर्न भरते समय एसटीसीजी और एलटीसीजी की गणना कैसे करें?

आयकर रिटर्न भरते समय एसटीसीजी और एलटीसीजी की गणना के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य, खरीद और बिक्री की तारीख।

उदाहरण के लिए: एक व्यक्ति जिसने ₹100 प्रत्येक पर ₹1,00,000 की कुल लागत पर कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे हैं। अगर वह 1 साल के भीतर ₹125 प्रति शेयर की कीमत पर शेयर बेचता है, तो उसका एसटीसीजी ₹25,000 होगा। अगर वह इसे 1 साल के बाद ₹150 प्रति शेयर पर बेचता है, तो वह ₹50,000 का एलटीसीजी दर्ज़ करेगा।

विभिन्न कर व्यवस्थाएं। कैसे पहचानें कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए

नई वैकल्पिक कर व्यवस्था

साल 2020 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक नई वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की है। इसमें सबसे बड़ा

बदलाव पुरानी आयकर व्यवस्था के तहत मिलने वाली सभी कटौतियों और छूटों को हटाना है। अब करदाता अपनी पसंद से कर व्यवस्था का चयन कर सकता है। यह समझने के लिए कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त है, आइए हम 60 वर्ष से कम आयु के एक विशिष्ट वेतनभोगी व्यक्ति के उदाहरण से दो व्यवस्थओ के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को समझें।

आयकर स्लैब	आयकर रेट	
	पुरानी आयकर व्यवस्था	नई वैकल्पिक कर व्यवस्था
Up to ₹2,50,000	Nil	Nil
₹2,50,000 – ₹5,00,000	5%	5%
₹5,00,001 – ₹7,50,000	20%	10%
₹7,50,001 - ₹10,00,000	20%	15%
₹10,00,001- ₹12,50,000	30%	20%
₹12,50,001 – ₹15,00,000		25%
₹15,00,000 and above		30%

कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए उपयुक्त है?

दोनों कर व्यवस्थाओं के अपने फायदे और नुकसान हैं। जहाँ पुरानी आयकर प्रणाली में कर की दरें अधिक हैं, यह कर देयता को कम करने के लिए कई विकल्प भी प्रदान करती है। लेकिन फिर कई कटौती और जटिलताएं काम और जटिलता को बढ़ा सकती हैं। दूसरी ओर जब आयकर स्लैब ऊपर ले जाते हैं तो नई व्यवस्था कर दरों को कम करने के साथ सरल होती है। यहाँ कर बचाने के विकल्प कम हैं और करदाता का चल निधि पर ज्यादा ध्यान होने की वजह से उसको बचत की प्रेरणा कम है।

चूंकि आय के स्रोत और कटौती प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होते हैं, इसलिए सभी के लिए एक नियम लागू करना संभव नहीं है। करदाताओं को दोनों व्यवस्थाओं के तहत कर देयता का मूल्यांकन और तुलना कर चुनाव करना चाहिए। यदि करदाता पहले से ही विभिन्न कर बचत साधनों में निवेश कर चुका है और एचआरए, एलटीए आदि कटौती का लाभ उठाता है, तो उसके लिए पुरानी कर व्यवस्था को चुनना अधिक फायदेमंद हो सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना

आकलन वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की आय, छूट और कटौती का दावा करने वाले सरकारी दस्तावेज को आईटीआर कहते है। इसमें करदाता द्वारा या उसकी ओर से वेतन आदि पर नियोक्ताओं द्वारा स्रोत पर कर कटौती के रूप में किए गए कर भुगतान भी शामिल हैं।

2,50,000 रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है, भले ही आप आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हों। अधिकांश वेतनभोगी व्यक्तियों को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना पड़ता है और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

आईटीआर फाइल करने के फायदे

-
- ऋण प्राप्त करना या धन जुटाना:

- आईटी रिटर्न आपके वित्तीय स्वास्थ्य का सारांश है। इससे ऋण प्राप्त करना या धन जुटाना आसान हो जाता है। ज्यादातर मामलों में, यह एक अनिवार्य दस्तावेज है।
- विदेश यात्रा:
- कई देशों में वीजा आवेदन के लिए आईटी रिटर्न का विवरण अनिवार्य है। हालिया वर्षों के रिटर्न का उपयोग व्यक्ति की वित्तीय स्थिरता का मानदंड है और यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को वीजा देना है या नहीं।
- दावा वापसी: यदि आपकी कोई कर देयता नहीं है और स्रोत पर आपके नियोक्ता या किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई अतिरिक्त कर काटा गया है, तो आप ऐसे सभी करों की वापसी का दावा कर सकते हैं। यह आपके आईटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान पता लगाया जाता है।

आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया

प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज इकट्ठा करें:

फॉर्म 16: यह आपके नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का प्रमाण पत्र है। इसमें आपके वेतन का संपूर्ण विच्छेद, कर-मुक्त भत्ते, अनुलाभ आदि सहित पूर्ण विवरण शामिल होता है। सभी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य है। टीडीएस आपके पैन कार्ड नंबर से जुड़ा होता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि फॉर्म 16 में आपके पैन नंबर का सही उल्लेख किया गया है।

फॉर्म 16ए: फॉर्म 16ए वेतन के अतिरिक्त आय पर टीडीएस प्रमाणपत्र है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं, तो आपको उन ग्राहकों द्वारा फॉर्म 16A जारी किया जाएगा, जिन्हें आप सेवा प्रदान करते हैं।

फॉर्म 26AS: यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया जाता है।इसमें आपके द्वारा भुगतान किए गए सभी करों और देय धनवापसी का विवरण होता है। इसमें नियोक्ताओं, बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा आपको किए भुगतान पर काटा हुआ टीडीएस भी शामिल होता है।

कटौतियों का प्रमाण: सुनिश्चित करें कि आपके पास आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दावा की गई सभी कटौतियों के लिए सहायक दस्तावेज हैं। इसमें जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम की रसीदें, कर-मुक्त दान की रसीदें, मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित किराए की रसीदें, मकान मालिक के पैन नंबर के साथ, बैंकों से ब्याज का विवरण, निवेश से होने वाली कमाई की रसीदें शामिल हैं।

सही आईटीआर फॉर्म चुनें: आईटीआर फॉर्म करदाताओं की श्रेणी के आधार पर तैयार किए गए हैं। निम्नलिखित आईटीआर फॉर्म व्यक्तिगत करदाताओं के लिए लागू होते हैं

- **आईटीआर-1 या सहज**: यह उन वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए है जिनकी आय का साधन 'घर ' या 'अन्य स्रोतों से आय हैं (जैसे निवेश पर रिटर्न)। इसमें कुल आय ₹50,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 'पूंजीगत लाभ', अन्य व्यवसायों या व्यवसायों से लाभ, लॉटरी या घुड़दौड़ से जीती हुई रकम शामिल नहीं होनी चाहिए।
- **आईटीआर-2**: उन व्यक्तियों के लिए जिनकी कुल आय ₹50,00,000 से अधिक है और जिनकी 'व्यवसाय या पेशे' से अतिरिक्त आय नहीं है।
- **आईटीआर-3:** उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनकी 'व्यवसाय या पेशे' से अतिरिक्त आय है।
- **आईटीआर-4** या सुगम: यह ₹50,00,000 तक की संचयी वार्षिक अनुमानित आय के लिए है।

आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग:

(https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। जैसे कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के सुपर सीनियर और ₹5,00,000 से कम वार्षिक आय वाले करदाता ही कुछ अपवाद हैं ।

- **पंजीकरण**: उपरोक्त पोर्टल पर पैन और मूल विवरण के साथ पंजीकरण करें।

- **आईटीआर फॉर्म चुनें**: सही कर निर्धारण का वर्ष और आईटीआर फॉर्म चुनें।

- **सामान्य जानकारी दर्ज करें**: पैन, आधार और अन्य प्रासंगिक जानकारी दर्ज करें।

आय और देय कर की गणना करें: दावा की गई सभी आय और कटौतियों का विवरण शामिल करें। पहले से भुगतान किए गए करों के विवरण को शामिल करने के बाद आपको अगली देय कर देयता प्राप्त होगी।

कर का भुगतान करें या धनवापसी का दावा करें: यदि आपका कुल देय कर, भुगतान किए गए कुल कर से अधिक है, तो आपको ऑनलाइन कर का भुगतान करने के लिए ई-पे पर निर्देशित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, यदि भुगतान किया गया कुल कर अधिक है, तो आप धनवापसी का दावा करने के अधिकारी होंगे ।

आईटीआर जमा करें: इन सभी चरण को पूरा करने के बाद, अपना आईटीआर जमा करें और उसकी पावती डाउनलोड करें।

ई-सत्यापन: आईटी विभाग द्वारा असत्यापित आईटीआर संसाधित नहीं किया जाता है, इसलिए यह अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। आपका आईटीआर ईवीसी, आधार या डीमैट खाते या आपके नेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर ई-सत्यापित किया जा सकता है।

पैन कार्ड का महत्व

पैन केवल कर उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पहचान के प्रमाण के रूप में भी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। अक्सर पैन की जानकारी में बदलाव के कई कारण होते हैं जैसे शादी के बाद नाम का बदलना, पते, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में बदलाव। कभी-कभी लोग पैन कार्ड खो देते हैं या पैन कार्ड पर फोटो बदलना चाहते हैं।

ऐसे सभी मामलों में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार आवंटित होने के बाद, पैन नंबर नहीं बदलता है। हालांकि नंबर में बदलाव नहीं होता है मगर पैन कार्ड या आयकर विभाग के रिकॉर्ड में जानकारी को 'पैन डेटा में पुनर्मुद्रण या परिवर्तन/सुधार' के लिए आवेदन भरकर अद्यतन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html या https://www.pan.utiitsl.com/csf.html पर लॉगिन करें।

गैर-अनुपालन के परिणाम

यदि किसी व्यक्ति को आईटीआर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और वह निर्धारित समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे देय कर पर ब्याज और ₹ 5,000 फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

आयकर नियोजन - क्या करें और क्या न करें!

क्या करें	क्या न करें
जल्दी शुरू करें, लंबी अवधि के बारे में सोचें: धन नियोजन की तरह आयकर नियोजन को भी जल्दी शुरू करने और सोचने की सलाह दी जाती है	**कर नियोजन को एक स्वतंत्र गतिविधि की तरह न लें:** यह आपकी समग्र वित्तीय योजना का हिस्सा है और आपकी कर योग्य आय और कर देयता को कम करने के लिए किया जाता है
स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता दें सुनिश्चित करें, आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य और जीवन बीमा है	**कर का परिहार न करें** आयकर परिहार और परिवर्जन के अंतर को समझना आपके लिए लाभदायक है
मूल कटौती से परे देखें सबसे लोकप्रिय धारा 80सी, आईटी अधिनियम कर देयता को कम करने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है	**सही कर व्यवस्था का चयन करना न भूलें:** अपनी आय और वित्तीय योजना के आधार पर हर साल उपयुक्त कर व्यवस्था सुनिश्चित करें

निवेश के लिए नकदी प्रवाह की योजना बनाएं: योजना और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से वर्ष के अंत में नकदी संकट से बचने के लिएअपना निवेश साल भर सम्मिलित करें	**ब्लॉक निवेश न करें:** सभी निवेशों की तरह, कर-बचत साधन के लाभ भी भिन्न हैं, जोखिम को कम करने के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करना उचित है
व्यवस्थित रहें: सभी वित्तीय लेनदेन, पुराने आयकर रिटर्न्स और दस्तावेज के रिकॉर्ड और रसीदें रखें	**अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें:** कर-बचत निवेश करने और अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें इससे चूक हो सकती है

1. **सेबी और एनआईएसएम द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता में भाग लें**

आजादी का 75 वर्ष 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर सेबी और एनआईएसएम वित्तीय बाजार पर प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। अपने कॉलेज के माध्यम से छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते है। निबंध प्रतियोगिता 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है और इसे 14 विभिन्न भाषाओं में लिखा जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्राप्त होंगे ।

पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए https://quiz.nism.ac.in/ पर जाएं

2. एनएसडीएल ई-सेवा सुविधा पर कैप्चा का कार्यान्वयन

एनएसडीएल ने क्लाइंट/उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण में सुरक्षा बढ़ाने के लिए के लिए एनएसडीएल ई-सर्विसेज सुविधा पर कैप्चा (कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट) लागू किया है। कैप्चा परीक्षण एक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न अनुक्रम है जिसमें अक्षरों और/या संख्याएं शामिल होती हैं जो विकृत छवि के रूप में दिखाई देती हैं। उपयोगकर्ता ई-सेवा सुविधा में लॉगिन करने से पहले प्रमाणीकरण के लिए प्रदान किए गए टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित वर्णों को दर्ज करेगा।

संदर्भ: परिपत्र संख्या एनएसडीएल/पॉलिसी/2022/002 दिनांक 4 जनवरी, 2022 एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.ग्राहकों के केवाईसी की कुछ विशेषताओं का अनिवार्य अद्यतन 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है

सभी मौजूदा खातों के संबंध में 6-केवाईसी विशेषताओं : नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आय श्रेणी के अनिवार्य अद्यतन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसका पालन न करने पर डीमैट खाते को बंद कर दिया जाएगा।

संदर्भ: परिपत्र संख्या एनएसडीएल/पॉलिसी/2021/0132 दिनांक 31 दिसंबर, 2021 एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. निवेशक चार्टर

भारतीय शेयर बाजार को अधिक पारदर्शी, कुशल और निवेशक के अनुकूल बनाने के लिए और निवेशकों को डीमैट रूप में शेयर्स को रखने और स्थानांतरित करने के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, पारदर्शी और विश्वसनीय रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक निवेशक चार्टर तैयार किया गया है

अपने अधिकारों, शिकायत तंत्र आदि के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://nsdl.co.in/publications/investor_charter.php

5. Saa₹thi - निवेशकों के लिए सेबी का मोबाइल ऐप

सेबी एक नया मोबाइल ऐप Saa₹thi लेकर आया है जिसका उद्देश्य निवेशकों के बीच शेयर बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार का क्रम विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

6. निवेशक शिकायत निवारण के ऑनलाइन तंत्र के बारे में प्रतिभागियों की जागरूकता बढ़ाना

प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को अपनी शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए ऑनलाइन तंत्र, विशेष रूप से स्कोर्स पोर्टल और स्कोर्स मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें। ग्राहक ऐसा अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट के माध्यम से उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी दर्ज़ कर सकते हैं

संदर्भ: परिपत्र संख्या: एनएसडीएल/पॉलिसी/2022/012 20 जनवरी, 2022, एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7. डीपीएम प्लस में वृद्धि - ग्राहकों के लिए नामांकन या नामांकन छोड़ने की ऑनलाइन सुविधा

एनएसडीएल ने ग्राहकों के लिए अपने डीमैट खाते में नामांकन करने या एनएसडीएल पोर्टल <डीपीएम प्लस यूआरएल> पर नामांकन छोड़ने करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

ऐसे ग्राहकों के प्रतिभागी डीमैट खाते से डिक्लेरेशन फॉर्म का सत्यापन कर अपनी पुष्टि/अस्वीकृति जमा कर सकेंगे। प्रतिभागी द्वारा पुष्टि के बाद, ग्राहक के डीमैट खाते को एनएसडीएल डिपॉजिटरी सिस्टम में सामयिक कर दिया जाएगा।

संदर्भ: परिपत्र संख्या एनएसडीएल/पॉलिसी/2022/016 दिनांक 31 जनवरी, 2022 एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. निवेशक सेवा अनुरोधों के मामले में शेयर्स को डीमैट रूप में जारी करने पर सेबी का परिपत्र

सेबी ने निर्देश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियां निवेशकों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर्स जारी करेंगी –

- डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना,
- उचंत खाते से दावा,
- शेयर्स प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/विनिमय,
- अनुमोदन,
- शेयर्स प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभाजन,
- शेयर्स प्रमाणपत्रों का समेकन,
- संचरण
- स्थानान्तरण

शेयर्स धारक/दावेदार उपर्युक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए विधिवत भरा हुआ अनुरोध प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में (फॉर्म आईएसआर - 4 - जो जारीकर्ता कंपनियों और आरटीए की वेबसाइट पर पाया जा सकता है) जमा करेगा।

आरटीए/जारीकर्ता कंपनियां सेवा अनुरोधों को सत्यापित और संसाधित करेंगी और उसके बाद भौतिक शेयर्स प्रमाणपत्रों के बदले एक 'पुष्टिकरण पत्र' जारी करेंगी।

पुष्टिकरण पत्र' जारी होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके भीतर निवेशक को उक्त शेयर्स को डीमैटरियलाइज़ करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अनुरोध प्रस्तुत करना होगा

यदि निवेशक उक्त अवधि के भीतर डीमैट अनुरोध जमा नहीं करता है, तो आरटीए/जारीकर्ता कंपनी शेयर्स को कंपनी के सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में जमा कर देगी।

संदर्भ: परिपत्र संख्या एनएसडीएल/पॉलिसी/2022/018 दिनांक 3 फरवरी, 2022 एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निवेशक जागरूकता वेबिनार

निवेश के विभिन्न पहलुओं के बारे में निवेशकों को अवगत कराने के लियेएनएसडीएल पूरे देश में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एनएसडीएल वेबिनार के रूप में निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखे हुये है। आगामी कार्यक्रमों / वेबिनार की सूची https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php प्रकाशित की जाती है और नीचे भी दी गयी है। कृपया अद्यतन कार्यक्रम के लिए वेबसाइट का अवलोकन करें। वेबिनार में शामिल होने के लिए पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के लिए लिंक सूची के साथ उपलब्ध है। आपके संगठन / संस्थान के लिये कार्यक्रम आयोजित करने में हमें खुशी होगी। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाने के लिये कृपया हमें info@nsdl.co.in पर लिखें।

क्रमांक	दिनांक	समय	विषय	भाषा
1	17 मार्च , 2022	04.00 दोपहर - 05.30 संध्या	सिक्योरिटीज मार्किट का परिचय	मराठी
2	24 मार्च 2022	04.00 दोपहर - 05.30 संध्या	डेरिवेटिव को समझें	हिन्दी
3	25 मार्च 2022	05.30 संध्या - 07.00 संध्या	विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को समझना	अंग्रेज़ी
4	31 मार्च , 2022	04.00 दोपहर - 05.30 संध्या	डेरिवेटिव को समझें	अंग्रेज़ी

नॉलेज विन्स कांटेस्ट

[redacted]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश करने पर अधिकतम कर लाभ राशि कितनी मिल सकती है?

उत्तर भेजने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या क्यू आर कोड स्कैन करें

25 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे उपहार

पिछले महीने के विजेता

आशिया टोपीवाला – अहमदाबाद
अभिरूप नंदी - कोलकाता
अजय सिंह - आजमगढ़
अंकुर बजाज - मुंबई
बद्योपाध्याय सानंदिता - कोलकाता
दिनेश जाधव - धुले
हितेंद्रभाई धदुक - राजकोट
इंद्रजीत बब्बर - नई दिल्ली
कावस्सेरी कृष्णमूर्ति - त्रिवेंद्रम

नीलेश केलकर - मथुरा
ओम प्रकाश - जोधपुर
प्रशांत पटेल - अहमदाबाद
राजन रायज़ादा - अमृतसर
रजत प्रजापति - कोसंब
राकेश वर्मा - देहरादून
रश्मीकांत कंसरा - अहमदाबाद
संजय कोले - हुगली
सुनील चंद्र - पटना

सुरेश दादी - खम्मम
सुयश चतुर्वेदी - आगरा
तलंकी प्रभाकर - बैंगलोर
उर्वी छाडवा - मुंबई
वीरेश त्रिवेदी - नागपुर
विनोद कुमार कोठारी – चित्तौड़गढ़
विनोद यादव - आगरा

मुख्य कार्यालय

ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा माला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

शाखायें

अहमदाबाद | कोच्चि | कोलकाता | चेन्नई | जयपुर | नई दिल्ली | बेंगलुरु | लखनऊ | हैदराबाद

डीमैट संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हमें relations@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें
डीमैट संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए हमें info@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें

नियम और शर्तें :

1)इस प्रतियोगिता के निष्पादन के लिए केवल एनएसडील जिम्मेदार रहेगा। यह प्रतियोगिता सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। 2)एनएसडील के कर्मचारी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। 3)व्यक्तिगत जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए। 4)आवश्यकता पड़ने पर एनएसडील प्रमाण की मांग कर सकता है| 5)एनएसडील को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना दिए, प्रतियोगिता बंद करने का अधिकार है। 6)विजेताओं का चयन एनएसडील द्वारा किया जाएगा। एनएसडील का निर्णय अंतिम होगा|

नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट की ओर से **श्री प्रशांत वागल** (संपादक) द्वारा प्रकाशित